JETIR.ORG ISSN: 2349-5162 | ESTD Year : 2014 | Monthly Issue
JOURNAL OF EMERGING TECHNOLOGIES AND INNOVATIVE RESEARCH (JETIR)
An International Scholarly Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

भारत में खाद्य सुरक्षा

श्रीमती इन्दू आसेरी
सह आचार्य अर्थशास्त्र
राजकीय महाविद्यालय आबूरोड़ (सिरोही) राज.

शोध सारांश

खाद्य सुरक्षा के लिए किसी देश की समग्र जनसंख्या को खाद्य की भौतिक उपलब्धि आवश्यक है। किंतु सभी को पर्याप्त खाद्य उपलब्ध कराने के लिए यह जरूरी है कि लोगों के पास पर्याप्त क्रयशक्ति हो ताकि वे अपनी जरूरत के लिए खाद्य पदार्थ हासिल कर सकें। स्वास्थ्य जीवन के लिए उपलब्ध खाद्य, गुणवत्ता और मात्रा दोनों रूप में प्रयोग होने चाहिए ताकि वह पोषण संबंधी आवश्यकता को पूरा कर सकें।

कोई राष्ट्र किसी समय विशेष पर स्वावलंबिता प्राप्त कर सकता है परंतु खाद्य सुरक्षा की अवधारणा इस बात पर बल देती है कि प्रत्येक समय, विश्वसनीय और पोषण की दृष्टि से खाद्य की पर्याप्त पूर्ति दीर्घकालीन आधार पर उपलब्ध होनी चाहिए। इसका अभिप्राय यह है कि किसी राष्ट्र में खाद्य संभरण की इतनी वृद्धि दर आश्वस्त करनी होगी कि इससे न केवल जनसंख्या की वृद्धि का ध्यान रखा जा सके बल्कि इसके साथ-साथ लोगों की आय में वृद्धि के परिणामस्वरूप खाद्य की मांग में वृद्धि की भी पूर्ति की जा सके।

शब्द कुंजी - खाद्य सुरक्षा, स्वावलंबिता, जनसंख्या, पोषण, क्रयशक्ति ।

प्रस्तावना - खाद्य सुरक्षा की अवधारणा विश्व विकास रिपोर्ट ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा यसभी व्यक्तियों के लिए सभी समय पर एक सक्रिय, स्वस्थ जीवन के लिए पर्याप्त भोजन की उपलब्धि के रूप में की है। किंतु खाद्य एवं किसी संस्था ने खाद्य सुरक्षा की परिभाषा यसभी व्यक्तियों को सभी समय पर उनके लिए आवश्यक बुनियादी भोजन के लिए भौतिक एवं आर्थिक दोनों रूप में उपलब्धि के आश्वासन के रूप में की है।

शोध प्रविधि - प्रस्तुत शोध पत्र में द्वितीयक संमको का प्रयोग किया गया है। शोधपत्र में प्रयुक्त विभिन्न ऐतिहासिक तथ्य व संमक विभिन्न पुस्तकों, विभिन्न आयोगों की रिपोर्ट एवं विभिन्न समाचार पत्रों से संकलित है।

उद्देश्य - प्रस्तुत शोध पत्र का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की समस्या को पहचानना और उसके निवारण हेतु सुझाव देना है।

भारत में खाद्य स्वावलम्बिता और खाद्य सुरक्षा - जवाहरलाल नेहरू ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए अपने प्रसारण में यह साफ शब्दों में कहा : यहमने विदेशों से सहायता प्राप्त की है और हम आवश्यकता पड़ने पर ऐसा करते रहेंगे परंतु मेरे मन में अब यह बात पूर्णतया दृढ़ रूप धारण कर गई है कि अपनी मूल जरूरतों के लिए विदेशों पर निर्भर करना कितना खतरनाक है। जैसे ही हम खाद्य में आत्मनिर्भर हो जाते हैं, तभी हमारे लिए अपनी प्रगति और विकास करना संभव होगा। अन्यथा परिस्थितियों का

बदस्तूर दबाव बना रहेगा, इससे संकट और दुःख ही उत्पन्न होगा और कई बार तो लज्जा और अपमान भी सहन करना होगा।

बाद के काल में जब 1965 और 1966 में भारत में भयंकर सूखा पड़ा, तब अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन जॉसन ने भारत को सबक सिखाने के लिए पी0एल0480प्रोग्राम के अधीन खाद्य सहायता को मासिक आधार पर सीमित कर दिया। इसका उद्देश्य भारत को इस बात के लिए मजबूर करना था कि यह वियतनाम पर अमरिकी हमले की निंदा ना करें जिसके लिए भारत ने साफ इंकार कर दिया था।

अतः भारत सरकार ने प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में बीज पानी उर्वरक टेक्नोलॉजी को अपनाया जिसे लोकप्रिय भाषा में हरी क्रांति का नाम दिया गया। इस नीति के परिणाम स्वरूप भारत को खाद्यान्न आयात को समाप्त करने में सहायता मिली और इसके साथ-साथ अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धि में भी वृद्धि हुई। भारत ने वर्ष 1976 में खाद्यान्नों में स्वावलम्बिता प्राप्त कर ली थी और इसके पश्चात भारत द्वारा अनाज का आयात नाममात्र ही रहा।

गिलबर्ट इटईन ने खाद्य के क्षेत्र में भारत के प्रयासों और उपलब्धियों की सराहना करते हुए उल्लेख किया: 'सभी प्रकार की अंधकार में एवं बेबुनियाद भविष्यवाणियों के बावजूद जोकि 1960-70 के दशक में भारत में भावी महासंकट व्याप्त होने की संभावना पर बल देती थी, आज देश को किसी वास्तविक अकाल का खतरा नजर नहीं आता।

9वी पंचवर्षीय योजना 1997 - 2002 में इस बात पर बल देते उल्लेख किया गया : 'देश का सबसे पहला प्रयास खाद्य सुरक्षा प्रणाली का निर्माण करना था ताकि अकाल का खतरा देश से एकदम समाप्त किया जा सके। इन प्रयासों की सफलता का सबसे प्रखर परिणाम यह है कि पिछले 5 दशकों में देश में कोई अकाल या घोर भुखमरी बड़े पैमाने पर देखी नहीं गई' |

राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यस्वावलम्बिता और खाद्य सुरक्षा- 9वीं योजना (1997-2002) ने राष्ट्रीय एवं पारिवारिक स्तर पर खाद्य सुरक्षा की व्यवस्था का विवेचन किया। योजना आयोग ने उल्लेख किया : 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा की दृष्टि जो देश द्वारा उपभोग के लिए आवश्यक खाद्यों के लिए देशी' उत्पादन पर मुख्यतः विश्वास करती है और जो इससे ही बफर स्टॉक कायम करने पर बल देती है। उसे खाद्य स्वावलम्बिता की रणनीति ही कहा जा सकता है। इस रणनीति को भारतीय आयोजन के पहले चरण में अपनाया गया और फिर बाद में साठ के दशक के दौरान बीज, पानी और उर्वरक की टेक्नोलॉजी जिसे लोकप्रिय भाषा में 'हरी क्रांति' कहा गया, अपनाया गया। लगातार किए गए इन प्रयासों के परिणामस्वरूप, भारत खाद्यान्नों में स्वावलम्बिता प्राप्त करने का लक्ष्य प्राप्त करने में सफल हो गया।

इसमें संदेह नहीं कि इन प्रयासों के नतीजे के तौर पर भारत अकाल और भयंकर खाद्य अभावों को दूर कर पाया, फिर भी यह कहना उचित होगा कि भारत आम जनता के सक्रिय एवं स्वस्थ जीवन के लिए खाद्य का प्रावधान नहीं कर पाया। दूसरे शब्दों में संतुलित भोजन, जिसमें अनाज दालों, सब्जियों और फलों की आवश्यक मात्रा शामिल हो, उपलब्ध कराना एवं स्वप्न मात्र ही है।

स्थानीय स्तर पर खाद्यसुरक्षा - परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा का अभिप्राय खाद्य पदार्थों की भौतिक एवं आर्थिक पहुंच से है ताकि मात्रा गुणवत्ता और आर्थिक क्षमता के रूप में खाद्य पदार्थों की कीमतों और जनसंख्या के पास इसके लिए क्रयशक्ति का सवाल उठ खड़ा होता है। गरीब वर्गों की सहायता के लिए सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली चालू की और दैत कीमत प्रक्रिया की नीति अपनाई । सार्वजनिक वितरण प्रणाली के केंद्रों पर खाद्य पदार्थों की जारी कीमत' बाजार कीमत से कब रखी गई ताकि गरीब रियायती खाद्य पदार्थ खरीद सकें।

राजनीतिक कारणों से सरकार ने सर्वव्यापक वितरण प्रणाली अपनाई, इसकी बजाय केवल गरीबों की ओर लक्षित प्रणाली कायम की जाती। परिणामत: गैर गरीब वर्गों ने इसका लाभ उठाना शुरू कर दिया और गरीब इस प्रणाली का पूरा लाभ नहीं उठा सके। सार्वजनिक वितरण प्रणाली सरकार की खाद्य सुरक्षा प्रणाली का सबसे महत्वपूर्ण उपकरण थी परंतु इससे इच्छित परिणाम प्राप्त नहीं किए जा सके।

9 वीं योजना ने स्थिति की समीक्षा करते हुए उल्लेख किया : 'बहुत तेजी से बढ़ते हुए खाद्य रियायतों के बावजूद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से रियायत खाद्यान्नों की पूर्ति का मूल्यांकन करने से पता चलता है कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा में वांछित सुधार करने में सफल नहीं हुई है। राष्ट्रीय स्तर पर खाद्यान्नों में स्वावलम्बिता तो प्राप्त कर ली गई परंतु यह स्थानीय स्तर पर खाद्यान्नों को आर्थिक शक्ति के आधार पर उपलब्ध कराने में सफल नहीं हुई ताकि परिवारों को खाद्य सुरक्षा प्रदान की जा सके।

कोविड- 19 और खाद्य संकट- संयुक्त राष्ट्र प्रमुख ने आगाह किया कि विश्व की 7 अरब 80 करोड़ आबादी का पेट भरने के लिये दुनिया में पर्याप्त भोजन उपलब्ध है लेकिन इसके बावजूद 82 करोड़ से अधिक लोग भुखमरी का शिकार हैं।

कोविड- 19 संकट के कारण 4 करोड़ 90 लाख अतिरिक्त लोग अत्यधिक गरीबी का शिकार हो सकते हैं और पोषणयुक्त भोजन की कमी के शिकार लोगों की संख्या में तेजी से बढ़ोत्तारी होने की आशंका है।

यहाँ तक कि जिन देशों में प्रचुर मात्रा में भोजन उपलब्ध है, वहाँ भी खाद्य आपूर्ति शृंखला में व्यवधान पैदा होने का जोखिम दिखाई दे रहा है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के प्रयास –

प्रायोगिक पोषण प्रोजेक्ट : प्रायोगिक पोषण प्रोजेक्ट 1963 में चालू किया गया जिसका उद्देश्य संरक्षित खाद्य पदार्थों जैसे सब्जियों और फलों के उत्पादन को प्रोन्नत करना तथा यह सुनिश्चित करना था कि इसका सेवन गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियां करें।

विशेष पोषण प्रोग्राम: विशेष पोषण प्रोग्राम 1970 में आरंभ किया गया जिसका उद्देश्य था गर्भवती स्त्रियों और दूध पिलाने वाली माताओं को 500 किलो कैलोरी और 25 ग्राम प्रोटीन उपलब्ध कराना और बच्चों को 300 किलो कैलोरी और 10 ग्राम प्रोटीन सप्ताह में 6 दिन उपलब्ध कराना।

समन्वित बाल विकास सेवा योजना - यह योजना 1975 में चालू की गई और इसका उद्देश्य बच्चों एवं गर्भवती स्त्रियों एवं दूध पिलाने वाली माताओं को खाद्य सहायता उपलब्ध कराना था। 'पिछले दो दशक के अनुभव से पता चलता है कि सबसे जरूरतमंदों को कई बार यह सुविधा उपलब्ध नहीं हो पाती और जब वह हो भी पाती है तो यह अधिकतर के लिए अनुपूरक की अपेक्षा प्रतिस्थापक का कार्य करती है। ' 1996 के समन्वित वाल विकास सेवा प्रोग्राम में, देश के 4200 ब्लॉकों को और इसके साथ 5.92 लाख आंगनबाड़ियों तक पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया। इसके परिणामस्वरूप, लाभ प्राप्तकर्त्ताओं की संख्या 185 लाख बच्चों और 37 लाख माताओं तक पहुंच गई।

दोपहर के भोजन का प्रोग्राम - दोपहर के भोजन का प्रोग्राम 2-14 वर्ष की आयु के बीच बालवाड़ी / स्कूलों में जाने वाले बच्चों के लिए आरंभ किया गया इस पर 44 से 90 पैसे प्रति लाभप्राप्तकर्त्ता खर्च करने का निर्णय किया गया। यह प्रोग्राम उन बच्चों के लिए नहीं है जो स्कूल नहीं जाते हैं। इस प्रोग्राम को अब नया नाम दिया गया है - प्राथमिक शिक्षा के लिए पोषण सहायता और इसे 1975 के बाद प्राथमिक शिक्षा स्तर पर 4480 ब्लाकों में सर्वव्यापक रूप में लागू किया गया जा रहा है। मार्च 1997 तक लगभग 6 करोड़ स्कूलों में बच्चे इस प्रोग्राम के अधीन लाए गए। जबकि दोपहर के भोजन का प्रोग्राम तमिलनाडु, कर्नाटक और दक्षिण के अन्य राज्यों में सफल हुआ है।

बाजार में खाद्यान्न की उपलब्धता - सर्वप्रथम बाजार में खाद्यान्न की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। इसके लिये कृषि विपणन स्थलों में सुधार करने की आवश्यकता है। सरकार द्वारा पूर्व में कई महत्त्वपूर्ण सुधार किये गए हैं, जो इस प्रकार हैं-

- मॉडल एग्रीकल्चर लैंड लीसिंग एक्ट 2016 राज्यों को जारी किया गया, जो कृषि सुधारों के संदर्भ में अत्यंत ही महत्त्वपूर्ण कदम है जिसके माध्यम से न सिर्फ भू-धारकों वरन् लीज प्राप्तकर्त्ता की जरूरतों का भी ख्याल रखा गया है।
- राष्ट्रीय कृषि मंडी स्कीम (ई-नाम) के तहत बेहतर मूल्य सुनिश्चत करके, पारदर्शिता और प्रतियोगिता के माध्यम से कृषि मंडियों में क्रांति लाने की एक नवाचारी मंडी प्रक्रिया प्रारंभ की गई।

- सरकार ने मॉडल कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग एंड सर्विसेज एक्ट, 2018 जारी किया है जिसमें पहली बार देश के अन्नदाता किसानों तथा कृषि आधारित उद्योगों को जोड़ा गया है।

लोगों की खाद्यान्न तक पहुँच सुनिश्चित करना:

- खाद्यान्न तक पहुँच बेहतर क्रय शक्ति पर निर्भर करती है। कृषक के अतिरिक्त प्रत्येक को बाजार से खाद्यान्न क्रय करना पड़ता है। इस वैश्विक महामारी के दौरान आर्थिक गतिविधियाँ बाधित होने से लोगों की पास धन का संकट है, परंतु मनरेगा जैसी योजना के कारण लाखों लोगों को रोजगार प्राप्त हुआ है जिससे उनकी पहुँच खाद्यान्न तक सुनिश्चित हो पाई है।
- इसके अतिरक्त सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम को सरकार द्वारा दी गई प्रोत्साहन राशि से पुनर्जीवित किया जा सकता है, जो व्यापक पैमाने पर रोजगार का सृजन करेगा।
- इस संकट के दौरान सरकार के द्वारा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से जरूरतमंद प्रत्येक व्यक्ति को अतिरिक्त राशन भी उपलब्ध कराया गया है।
- राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम व सार्वजनिक वितरण प्रणाली में निर्धारित खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त बाजरा, दाल व तेल जैसे अन्य खाद्य उत्पादों को भी शामिल करना चाहिये।

भोज्य पदार्थों का अवशोषण:

- खाद्य सुरक्षा का तीसरा आयाम है शरीर में भोजन का अवशोषण तथा उसका समुचित उपयोग।
- भोजन का अवशोषण और उपयोग सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं सहित स्वच्छता, पीने योग्य जल और अन्य गैर-खाद्य कारकों पर महत्तवपूर्ण ढंग से निर्भर है।
- कोविड- 19 संक्रमण के कारण बार-बार हाथों को धुलने से ग्रामीण व शहरी दोनों ही क्षेत्रों में स्वच्छ पीने योग्य जल की कमी महसूस की जा रही है।

खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु सरकार के अन्य प्रयास-

राष्ट्रीय कृषक नीति : खाद्य सुरक्षा के स्तर को बनाए रखने के लिये राष्ट्रीय कृषक नीति को लागू किया गया। इस नीति के अंतर्गत न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यप्रणाली को प्रभावी रूप से क्रियान्वित करना, कृषि उत्पादों को लाभकारी मूल्य प्रदान करना, किसानों को वित्तीय सहायता उचित ब्याज दर पर उपलब्ध कराना, सूचना और संचार प्रौद्योगिकी की सहायता से ग्राम- स्तर पर चौपाल और फर्म, स्कूल स्थापित करना तथा यह सुनिश्चित करना कि किसानों के पास उत्पादन के लिये साधन उपलब्ध है कि नहीं, अच्छी गुणवत्ता के बीज का प्रयोग बढ़ाना आदि क्रियाएँ भी क्रियान्वित करना इस नीति में शामिल हैं।

खाद्य सब्सिडी योजना : खाद्य सुरक्षा के लिये सरकार समय-समय पर खाद्य सब्सिडी जारी करती है ताकि खाद्य संकट पैदा न हो।

राष्ट्रीय वर्षापोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना - खाद्य सुरक्षा की कल्पना को साकार करने के लिये राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण की स्थापना की गई। इस प्राधिकरण का उद्देश्य खाद्य सुरक्षा की स्थिति बरकरार रखने के लिये वर्षा पोषित क्षेत्रों की समस्या पर पूरा ध्यान देना तथा भूमिहीन और छोटे किसानों से संबंधित समस्याओं पर भी ध्यान केन्द्रित करना है जिससे खाद्यान्न उत्पादन में कमी न हो।

खाद्य सुरक्षा की वैकल्पिक विधियाँ-

(1) खाद्यान्न कूपन प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अधिक प्रभावी बनाने के लिये निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले प्रत्येक परिवार को खाद्यान्न कूपन देकर उसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली की दुकानों पर मुद्रा के स्थान पर स्वीकार किया जाना चाहिये। ऐसी दुकानों पर गेंहूँ-चावल की बिक्री प्रचलित बाजार मूल्य पर होनी चाहिये, परिणामस्वरूप भ्रष्टाचार की

संभावना कम होगी। इस कूपन प्रणाली में सही सफलता तभी प्राप्त होगी जबकि निर्धनों की पहचान के लिये विशिष्ट पहचान संख्या लागू की जाए।

(2) बहु-उपयोगी स्मार्ट कार्ड : प्रौद्योगिकी विकास के साथ-साथ बहु- उपयोगी स्मार्ट कार्ड व्यवस्था अस्तित्व में आई है। इन कार्डों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन को सरल बनाया जा सकता है। इस प्रकार यदि सभी अर्ह परिवारों की पहचान, अधिकृत लेन-देन की जानकारी तथा प्राप्त खाद्यान्न की मात्रा आदि का विवरण ऑन-लाइन उपलब्ध हो तो खाद्यान्न के निर्गम के समय इसकी पुष्टि की जा सकती है। विवरण की जानकारी भी ऑन-लाइन हो जाने से कार्यक्रम की प्रगति भी आसान हो जाएगी।

(3) वेब आधारित प्रणाली : सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत एक ऐसी वेबसाइट विकसित की जा सकती है जिस पर प्रत्येक लाभार्थी परिवार जो भोजन पाने का अधिकार कानून के तहत खाद्यान्न की एक निर्धारित मात्रा रियायती मूल्य पर पाने का हकदार है, का विवरण उपलब्ध हो। इसके अलावा इसकी जाँच वितरण केंद्र पर अधिकारियों एवं लाभार्थी परिवार के मुखिया द्वारा कभी भी की जा सकती है।

(4) बफर स्टॉक बढ़ाना अत्यावश्यक : सार्वजनिक वितरण प्रणाली में खाद्यान्नों, दालों, चीनी इत्यादि वस्तुओं के भंडारण व आयात का पूर्वानुमान लगाकर बफर स्टॉक बनाए जाने की रणनीति तैयार की जानी चाहिये जिससे भष्टाचार और जमाखोरी को रोका जा सके।

कमियां- पिछले 50 वर्षों के दौरान, मर्यादित और घोर अल्प पोषण में काफी कमी हुई है और जनसंख्या के सभी वर्गों के पोषण स्तर में कुछ उन्नति हुई है। फिर भी देश के विभिन्न भागों में ऊर्जा अभाव के कुछ रूप कायम हैं। महाराष्ट्र और उड़ीसा के जनजातीय क्षेत्रों में बच्चों और बुजुर्गों में कुपोषण और विस्तृत भुखमरी भी पाई जाती है, इसका बुनियादी कारण क्रय शक्ति का अभाव है। जिनमें अल्प पोषण की समस्या पाई जाती है उनमें हैं –

1. गर्भवती और दूध पिलाने वाली स्त्रियां ।
2. एक तिहाई नवजात बच्चे जिनका जन्म पर वजन 2.5 किलोग्राम से - कम है।
3. विटामिन-ए के कम तीव्ररूपों का विद्यमान होना जिनके कारण कुछ व्यक्तियों में अंधापन भी हो सकता है।
4. आयोडीन युक्त नमक की सर्वव्यापक उपलब्धि प्राप्त नहीं की जा सकी और इसके परिणामस्वरूप बहुत सी विकृतियों में महत्वपूर्ण कमी नहीं हो सकी।
5. रक्त - क्षीणता विद्यमान है और इसकी तीव्रता को कम नहीं किया जा सका और लौह-अभाव के कारण स्वास्थ्य पर पड़ने वाले प्रभावों में कभी नहीं हुई ।

सुझाव- परिवार के स्तर पर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित दिशाओं में कार्य करना होगा –

1. खाद्य एवं कृषि क्षेत्र के विकास को त्वरित करना जोकि खाद्य के लिए प्रत्यक्ष साधन और आय प्रदान करते हैं जिनसे खाद्य पदार्थ खरीदे जा सकें।
2. ऐसे ग्राम विकास को प्रोन्नत करना जो गरीबों पर केंद्रित हो ।
3. भूमि तथा अन्य प्राकृतिक साधनों तक पहुंच को प्रोन्नत करना ।
4. गरीब परिवारों को सस्ती ब्याज दर पर उधार उपलब्ध कराना।
5. रोजगार अवसरों का विस्तार करना।
6. आय हस्तांतरण योजना को चालू करना जिस में सार्वजनिक वितरण प्रणाली द्वारा रियायती कीमतों पर खाद्य उपलब्ध कराना शामिल है।
7. खाद्य पूर्ति और खाद्य कीमतों को स्थिर करना |

8. प्राकृतिक विपत्तियों जैसे सूखे, बाढ़, भूकंप आदि के दौरान खाद्य सहायता उपलब्ध कराने के लिए आपातकालीन तैयारी में सुधार करना ।

निष्कर्ष - कोविड- 19 संक्रमण के दौरान भारत स्वास्थ्य चुनौतियों के अतिरिक्त जिन चुनौतियों का सामना कर रहा है, उनमें से खाद्य सुरक्षा की चुनौती सबसे प्रमुख चुनौतियों में से एक है। तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, बढ़ते खाद्य मूल्य और जलवायु परिवर्तन का खतरा ऐसी चुनौतियाँ है जिनसे युद्ध स्तर पर निपटे जाने की आवश्यकता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि 'जो व्यक्ति अपना पेट भरने के लिये जूझ रहा हो उसे दर्शनवाद नहीं समझाया जा सकता है।' यदि भारत को विकसित राष्ट्रों की सूची में शामिल होना है, तो उसे अपनी खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।

संदर्भ ग्रन्थ सूची :-

1. योजना आयोग, नवीं पंचवर्षीय योजना (1997-2002)
2. भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (2011-2012)
3. भारत सरकार, आर्थिक समीक्षा (2019-2020)
4. विश्व विकास रिपोर्ट, 1986 .
5. राष्ट्रीय पोषण निगरानी बोर्ड, 1975-80
6. दत्ता एवं सुन्दरम, भारतीय अर्थव्यवस्था, एस० चन्द पब्लिकेशन ।
7. केंद्रीय बजट, 2017-18
8. द हिंदू, मार्च 2020
9. द इकनोमिक टाइम्स, अप्रैल 2020